(22)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

Rs. 301/-

जसवन्त राय तनय उत्तमचन्द्र आवल, जाति पंजाबी, पेशा व्यापार, मुकाम– स्टेशन रोड वार्ड नं. 16 मैहर, तहसील–मैहर, जिला–सतना (म0प्र0)

R 5006-II/17

———आवेदक / निगरानीकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. दिलीप कुमार तनय मनोहर लाल आवल,
2. मोनिका आत्मजा गोविन्दचन्द्र आवाल,
3. मिनेल आवल आत्मजा गोविन्दचन्द्र आवल,

मुकाम– स्टेशन रोड वार्ड नं. 16 मैहर, तहसील–मैहर, जिला–सतना (म0प्र0)

———अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता / गैर पुनरीक्षणकर्ता

अधिवक्ता श्री कुबेर भौगलेश्री द्वारा प्रस्तुत। 07.1.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय मैहर जिला–सतना (म0प्र0) प्रकरण क्र. 20/अपील/2014–15 आदेश दिनांक 22.12.2016.

मान्यवर,

निगरानी/पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय महोदय अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला–सतना (म0प्र0) के प्रकरण क्र. 20/अपील/14–15 का प्रकरण चल रहा है, जिसके निराकरण हेतु निगरानीकर्ता की प्रथम अपील 44ए म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अनुसार अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5006–दो/2017 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03 –01–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 20/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 22–12–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो एवं विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी मैहर के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 22–12–16 को एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 13 एवं 14 व्यहवहार प्रकिया संहिता का पेश कर अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने दिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने विचाराधीन अंतरिम आदेश के द्वारा अस्वीकार किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी भी समय निर्णय के पूर्व यदि पक्षकार द्वारा दस्तावेज पेश किये जाते हैं तो उसे न्यायहित में स्वीकार कर विचार किया जा सकता है। आवेदक द्वारा अपील पेश करते समय दस्तावेज उपलब्ध न होने की दशा में प्रकरण में अंतिम बहस के पूर्व दस्तावेज पेश किये है जिसे अस्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायहित एवं विधि विपरीत कार्यवाही की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत	

दस्तावेजों को रिकार्ड पर लें तथा उसके उपरांत दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य